Speech Therapist

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 613] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 22, 2009/आश्विन 30, 1931

No. 613] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2009/ASVINA 30, 1931

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2009

सा.का.नि. 773(अ).- -संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 में एतदद्वारा निम्नलिखित शुद्धियां की जाती हैं :---

सी.सी.एस. (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की प्रथम अनुसूची के खंड-II, भाग-ख के तहत दी गई तालिका के भाग XII के तहत क्रम संख्या 7 के नीचे एक नई एन्ट्री जो नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ से संबंधित है, को क्रम संख्या 8 के रूप में संख्यांकित करते हुए निम्न प्रकार शामिल किया जाए :—

(रुपए में)*

क्र. सं.	पद	वर्तमान वेतनमान*	संशोधित वेतनमान*	तदनुरूपी वेतन बैंड और ग्रेड वेतन*		रिपोर्ट को पैरा संख्या
				वेतन बैंड	ग्रेड वेतन*	
1	2	3	4	5	6	7
8.	वाक् चिकित्सक@	4500-7000	6500-10500	पी.बी.-2	4200	3.6.19

@यह केन्द्र सरकार के अस्पतालों में वाक् चिकित्सकों (स्पीच थेरापिस्ट) के केवल उन पदों पर लागू होगा जिनके भर्ती नियमों के अनुसार सीधी भर्ती हेतु अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाक् विकृति विज्ञान में उपाधि अथवा डिप्लोमा अथवा समकक्ष; और (ii) किसी वाक् चिकित्सा केन्द्र से वाक् चिकित्सक के रूप में दो वर्ष का अनुभव हो।

[फा. सं. 1/1/2008-आईसी]

मधुलिका पी. सुकुल, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली 14 दिसम्बर, 2004

सा.का.नि. 449.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली में वाक् चिकित्सक (स्पीच थॅरपिस्ट) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली, (वाक् चिकित्सक) (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
वाक् चिकित्सक (स्पीच थॅरपिस्ट)	1* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित	4500-125-7000 रु.	लागू नहीं होता

सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9	10
नहीं	28 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से वाक् विकृति में डिग्री या समतुल्य डिप्लोमा या समतुल्य अर्हता। वांछनीय : किसी अस्पताल या आयुर्विज्ञान संस्थान में वाक् और श्रवण में एक वर्ष का नैदानिक अनुभव। टिप्पण :—अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/आमेलन किया जाएगा
11	12
सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी, और (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (2) जिन्होंने 4000-6000 रुपए के वेतनमान में उक्त पदों पर पांच वर्ष नियमित	लागू नहीं होता

11
प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) — 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक —अध्यक्ष 2. विभागाध्यक्ष (बाल चिकित्सा) —सदस्य 3. विभागाध्यक्ष (कर्णनासाकण्ठ विज्ञान) —सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता।

[फाईल संख्या ए 12018/67/2001 [illegible]]

महानिदेशक [illegible]

New Delhi, the 14th December, 2004

G.S.R. 449.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the [illegible] hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Speech Therapist in [illegible] Saran Children Hospital, New Delhi, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Kalawati Saran Children Hospital, New Delhi, (Speech Therapist) (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person :—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

[illegible] Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient [illegible] provisions of these rules with respect [illegible]

पाद टिप्पणी : 1. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 सा.का.नि. 622(अ), दिनांक 29 अगस्त, 2008/7 भाद्र, 1930 के द्वारा अधिसूचित की गई थी ।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 में पहला संशोधन सा.का.नि. 161(अ), दिनांक 12 मार्च 2009/21 फाल्गुन, 1930 के द्वारा किया गया था ।

3. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 में दूसरा संशोधन सा.का.नि. 527(अ), दिनांक 16 जुलाई 2009/25 आषाढ़, 1931 के द्वारा किया गया था ।

4. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 में तीसरा संशोधन सा.का.नि. 552(अ), दिनांक 28 जुलाई, 2009/6 श्रावण, 1931 के द्वारा किया गया था ।

5. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 में चौथा संशोधन सा.का.नि. 650(अ), दिनांक 9 सितम्बर, 2009/18 भाद्र, 1931 के द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2009

G.S.R. 773(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the following Corrigenda to Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 is hereby issued :—

A new entry below Sl. No. 7 to be numbered as Sl. No. 8 under Part XII of the Table under Section II, Part B of the First Schedule to the CCS (Revised Pay) Rules, 2008, which relates to Nursing and Paramedical Staff, shall be inserted as given below :—

(in Rupees)

Sl. No.	Post	Present Scale*	Revised Pay Scale*	Corresponding Pay Band and Grade Pay*		Para No. of the Report
				Pay Band	Grade Pay*	
1	2	3	4	5	6	7
8	Speech Therapist@	4500-7000	6500-10500	PB-2	4200	3.6.19

@This is applicable to only those posts of Speech Therapists in Central Government Hospitals for which the essential educational qualifications for direct recruits as per recruitment rules are (i) Degree or Diploma in Speech Pathology from a recognized University or equivalent; and (ii) two years experience as Speech Therapist in a Speech Therapy Centre.

[F. No. 1/1/2008-IC]

MADHULIKA P. SUKUL, Jt. Secy.

Foot Note :—1. The Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 were notified *vide* G.S.R. 622(E), dated the 29th August, 2008/Bhadra 7, 1930.

2. First modification to the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 was done *vide* G.S.R. 161(E), dated the 12th March, 2009/Phalguna 21, 1930.

3. Second modification to the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 was done *vide* G.S.R. 527(E), dated the 16th July, 2009/Asadha 25, 1931.

4. Third modification to the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 was done *vide* G.S.R. 552(E), dated the 28th July, 2009/Sravana 6, 1931.

5. Fourth modification to the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 was done *vide* G.S.R. 650(E), dated the 9th September, 2009/Bhadra 18, 1931.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Speech Therapist	1*(2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4500-125-7000	Not applicable.	No

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any
7	8	9	10
28 years (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim, Ladakh Divivsion of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	**Essential :** (i) Degree or equivalent diploma in Speech Pathology or equivalent qualification from a recognised University. **Desirable ;** One year clinical experience in Speech and Audiology in a Hospital or Medical Institute. Note : Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of competent authority in case of candidates beloging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two [illegible]

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/absorption is to be made
11	12
By Direct Recruitment Note : The vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long leave or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officers of [illegible]	Not applicable.

11		
(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in posts in the pay scale of Rs. 4000—6000; and (b) Possessing qualifications prescribed for direct recruits under column 8. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)		

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which [illegible] Service Commission is to be [illegible] making recruitment
13	14
Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation) consisting of:— 1. Additional Medical Superintendent —Chairman 2. Head of the Department (Pediatrics) —Member 3. Head of the Department (Otorhinolaryngology) —Member 4. Administrative Officer —Member	Not applicable

[F. No. A-120[illegible]

MAHABIR PERSH[illegible]

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2004

सा.का.नि. 450.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, [illegible] अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, पश्चिम बंगाल (प्रशासनिक अधिकारी) समूह "ख" राजपत्रित पद, भर्ती नियम, 2003 का [illegible] निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, [illegible] (प्रशासनिक अधिकारी) समूह "ख" राजपत्रित पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।*

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, पश्चिम बंगाल (प्रशासनिक अधिकारी) समूह [illegible] नियम, 2003 के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा; अर्थात् :—

"6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, [illegible] कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या [illegible] आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।"

[फा. सं. ए-12018[illegible]

पी. [illegible]

पाद टिप्पणी : मूल नियम सा. का. नि. 366 तारीख 22 अगस्त, 2003 द्वारा अधिसूचित किए गए थे।